

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स पिन्दू कुमार, प्रो०-श्री पिन्दू कुमार, ग्राम-रामपुर, पो०- सूर्यगडहा, थाना+जिला- लखीसराय द्वारा किउल नदी के जमुई किउल ब्लॉक-09 बालू घाट, मौजा- चांचो, चंदाबैंक, प्रखण्ड- खैरा, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 19.08.2026 को अपराह्न 03:00 बजे खैरा प्रखंड स्थित प्रखण्ड सभागार, जिला- जमुई में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/3828/2026, दिनांक 09.06.2026 के आलोक में श्री बालमुकुन्द प्रसाद, अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "दैनिक भाष्कर" एवं "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिनांक 14.07.2026 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस० एन० ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक-09 बालू घाट, मौजा- चांचो, चंदाबैंक, प्रखण्ड- खैरा, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री पिन्दू कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या- 09 में प्रतिवर्ष 206412 टन बालू का खनन

2

प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत **रु0 294.41** लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 09 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही परिवहन किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र

h

- कर वहां से पुनः परिवहन किया जायेगा। खनिज से रिसने वाला जल का उपयोग धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण करने के लिये किया जायेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
 11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
 12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।
- परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

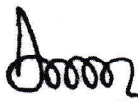
क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री आनंद कुमार, पिता: श्री प्रमेश्वर सिंह, ग्राम: चांचो एवं श्री संजय कुमार, पिता: स्व० वासो यादव, ग्राम: बल्लोपुर, थाना: खैरा, जमुई के द्वारा सुझाव दिया गया कि धूल-कण नियंत्रण करने के लिये जल छिड़काव की व्यवस्था होना चाहिये। साथ ही पहुँच पथ के दोनों किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिये।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि धूल-कण नियंत्रण के लिये दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाएगा। पहुँच पथ के दोनों किनारे एवं ग्रामीण द्वारा बताये गये अन्य स्थल पर भी वृक्षारोपण की जायेगी।
2.	श्री कामेश्वर यादव, पिता: श्री अयोध्या यादव, ग्राम: पनभरवा, थाना: गढ़ी, जमुई के द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं होना चाहिये, क्योंकि भूजल का स्तर नीचे चली जायेगी। पर्याप्त मात्रा में जल छिड़काव करने का सुझाव दिया गया।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि बालू खनन का कार्य एक मीटर की गहराई तक की जायेगी। वैसे स्थल जहां पर भूजल का स्तर उपर होगी वैसे स्थल पर बालू खनन कार्य एक मीटर की गहराई तक नहीं की जायेगी। आवश्यकतानुसार पहुँच पथ पर नियमित रूप से जल छिड़काव की जायेगी।
3.	श्री राजा कुमार, पिता: श्री सतीश कुमार सिंह एवं श्री तपीश कुमार, पिता: श्री मुनेश्वर प्रसाद, ग्राम: चांचो, थाना: खैरा, जमुई द्वारा अवगत कराया गया कि	बालू खनन पट्टा प्राप्त करने वाले संवेदक द्वारा उपस्थित पदाधिकारी एवं लोगों को आश्वासन दिया गया कि पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताये गये

2

पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताये गये व्यवस्था लागू होना चाहिये। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये।	व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा एवं प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दी जायेगी।
---	--

लोक-सुनवाई के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि आमजनों/स्थानीय निवासियों के द्वारा जो समस्याएँ उठाई गयीं हैं, इन समस्याओं का निदान खनन विभाग के नियम व प्रावधान में ही निहित है। संवेदक को निदेश दिया गया कि खनन विभागीय प्रावधान के निमित्त व सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खनन कार्य करेंगे। सुनवाई में उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि श्री पिन्दू कुमार द्वारा सभी शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया।

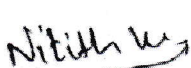
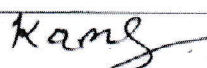
लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

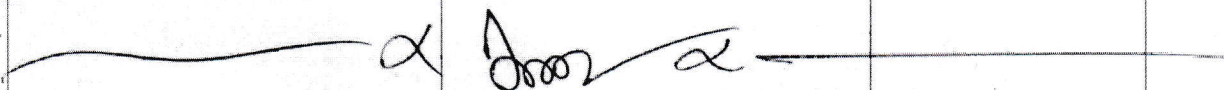

24/8/2026
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्वद,
भागलपुर।


24/8/26
अपर समाहर्ता
लोक शिकायत निवारण
पदाधिकारी, जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स पिन्टु कुमार, ग्राम- रामपुर, पो0- सूर्यगढ़ा, थाना+जिला- लखीसराय द्वारा किउल नदी के जमुई-किउल ब्लॉक- 09 बालू घाट, (16.70 हेक्टेयर), मौजा- चांचो, चंदाबैंक प्रखण्ड-खैरा, जिला- जमुई से बालू खनन परियोजना संबंधी प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रखंड कार्यालय खैरा में दिनांक 19.08.2026 को आहुत लोक सुनवाई में उपस्थित महानुभावों का सूची:-

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कालभुवन झा	अग्रजमाष्टा (P.R.O) Jamur	 19/8/26
2.	सम्पूर्णानंद ठाकुर क्षेत्रीय पदाधिकारी	क्षेत्रीय विहार राज्य प्रबंधन निगम पर्यटन मोगलपुर	 19.8.2026
3.	आकाश कुमार रवात निक्षेप	जिसा खनन अभियान जमुई	 19/8/26
4.	नीतीश कुमार	Aegis Res. India Pvt. Ltd. (Env. Consultant)	
5.	पिन्टु कुमार	खंडक	
6.	आनंद कुमार	खांचो	
7.	कामेश्वर झा	पनभरवा	
8.	संजय कुमार	पनभरवा	
9.	सुनील यादव	पनभरवा	
10.	डॉ. जगपति	खैरा	

11.	Raja kumar	चांची	Rem
12.	रंजन कुमार	चांचो	Ramachandran
13.	चंदन कुमार	चांचो	chandam
14.	महंजय कुमार	चांचो	महंजय कुमार
15.	गोपाल सिंह	चांची	गोपाल सिंह
16.	रवि शंकर कुमार	चांची	रवि शंकर कुमार
17.	मनीष कुमार	चांची	मनीष कुमार
18.	तपेश कुमार	चांची	तपेश कुमार
19.	रवनीश कुमार	रवनीश	रवनीश
20.	मुकेश कुमार	भागलपुर B S P C B. प्रहारा	मुकेश
21.	बिरेणु साव	पकरा	बिरेणु साव
22.	BHUSJIBAL TIWARI	लखीसराय	Rem 7m
23.			
24.			
25.			